-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.05.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित लगभग 80 लाख 25 हजार रुपए रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क ।**

विवरण- लगातार आपराधिक कार्यों में संलिप्त माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 29.05.2024 को बड़ी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शिवनारायण सिंह पुत्र स्व महावीर निवासी मोहल्ला अतिथि होटल दिग्गी तालाब रोड थाना कोतवाली नगर बाँदा द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 80 लाख 25 हजार रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्त पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 291/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री सुखराम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 30.03.2024 को की अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.05.2024 को अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 80 लाख 25 हजार रुपए रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया।

अभियुक्त का विवरण -

शिवनारायण सिंह पुत्र स्व महावीर निवासी मोहल्ला अतिथि होटल दिग्गी तालाब रोड थाना कोतवाली नगर बाँदा

अभियुक्त शिवनारायण सिंह पुत्र स्व महावीर की जब्त सम्पत्ति का विवरण-

1. 01 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल UP90D5001 कीमत लगभग 25 हजार रुपये।
2. 01 मकान अनुमानित कीमत 80 लाख रुपये।

आपराधिक इतिहास शिवनारायण सिंह पुत्र स्व महावीर उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 291/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 560/22 3/4 जुआ अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 968/22 3/4 जुआ अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 407/21 धारा 387/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 774/19 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 72/20 धारा 13 जुआ अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 762/18 धारा 452/387/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0 99/09 धारा 13 जुआ अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।